

अब मुकदमा का दावा किन नष्टों से आधार
पा कि जा सकता है। ऐसे मामलों में

प्रतिवादी अपने पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत
कर सकता है और यदि किन्हीं
रकम मुकदमा के लक्ष में पाने का
सकल है यह किन्हीं से उस शक्ति
से शक्ति है जिससे अनिश्चित वाद

प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि दावा
संदिग्ध नहीं पा आधारित है तो
संदिग्ध अधिनियम के अनुबन्धों के
अनुसार यदि दावा किसी अपकृत्य
के कारण किया गया तो अपकृत्य

(Tort) सम्बन्धी किन्हीं के
अनुसार इन प्रमाणों का निर्धारण
किया होता है। साक्ष्य अधिनियम
के प्रावधानों में यह प्रमाण नहीं
आते। यह केवल इतना ही
लक्षित करना है कि मुकदमा के
दावे में ऐसे नष्ट सुसंगत हैं
कि नहीं। जिससे आधार पा रकम
अवधारित करना सुसंगत ही नहीं,
सिवाय कि नष्ट सुसंगत है कि नहीं।

बुकसाजी के लिए वादी ने रक्त अवधारणा को लिये
उदाहरण की सार्वी प्रवृत्ति सुसंगत रूप
है।

प्रथम स्थिति में जो कि जिसमें बुकसाजी
(Bombyx) का दावा किया जाता है न केवल
वह प्रकृत विकास होता है कि कहीं
बुकसाजी का हकदार है या नहीं अपितु
बुकसाजी की रक्त को भी निश्चित
करना आवश्यक हो जाता है। अतः

उदाहरण के सम्बन्ध या समझ
इस प्रकार की सावित करना
अवश्य ही है कि जिसमें आपा-प

उचित रक्त का अवधारण संभव
एक गुण हो सके। यह ध्यान इस
प्रकार के नदियों को सुसंगत है

तो इस विचार पर पर्यवेक्षण के
पश्चात् कि वह बुकसाजी पाते का
हकदार है उदाहरण उस नदियों की
जाते कोगा जिसमें आपा-प

बुकसाजी की सभी अवधारण
हो सके। अतएव वे सार्वी नदय
सुसंगत माने जाते हैं।